दिनांक- 06.04.2022 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार की प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

दिनांक-**06.04.2022** को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में **"जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार** की प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, लातेहार द्वारा गत न्यास परिषद की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन के माध्यम से अद्यतन स्थिति के बारे में बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके उपरांत बैठक में एजेंडा के अनुसार चर्चा प्रारम्भ हुई। जिसमें **"लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** की प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. बैठक में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं से प्राप्त वार्षिक योजना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 ने बताया कि उक्त वार्षिक योजना तैयार करने हेतु ग्राम सभा से वर्ष के चतुर्थ तिमाही में मांग की गई जिसके आलोक में जिले के विभिन्न प्रखण्डों के ग्राम सभा से वार्षिक योजना प्राप्त हुई है। वार्षिक योजना के संबंध में विस्तृत समीक्षोपरांत यह पाया गया कि प्राप्त वार्षिक योजना जिला खनिज फाउण्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2016 की धारा-9(2) में उल्लेखित नियम के अनुसार नही हैं, जिसमें PMKKKY के मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं में व्यय हेतु निधि 60% उच्च प्राथमितका वाले क्षेत्रों में एवं 40% अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग करने का प्रावधान है। ग्राम सभा से प्राप्त वार्षिक योजनाओं में अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनुपात बहुत अधिक है। उच्च प्राथमिकता वाले योजनाओं में भी पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं पर झारखण्ड सरकार पत्रांक-169/एम0, राँची दिनांक-29.01.2021 के आलोक में रोक लगी हुई है। अतएव इनसें सम्बंधित योजनाएँ नही ली जा सकती है। बैठक में गहन समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष-2022-23 हेतु प्राप्त वार्षिक योजनाओं को ग्राम सभा को इस बारे में सूचित करते हुए पुनः PMKKKY के मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक योजना को तैयार कराकर पुनः प्रबंधकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया, साथ ही सर्वसम्मति से पी0एम0यू0, डी0एम0एफ0टी0 को इस संबंध में ग्राम सभा का क्षमता संवर्धन करने हेतु निदेशित किया गया।

2. बैठक में डी0एम0एफ0टी0 नियमावली 2016 के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा हुई। इस संबंध में डी0एम0एफ0टी0 नियमावली की धारा-3 के संदर्भ में चर्चा हुई जिसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष क्षेत्रों एवं प्रभावित लोगों के संबंध में परिभाषाऐं उल्लेखित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार ने बताया कि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र जिले में क्रियाशील माईन्स के आधार पर तय होती है तथा इसमें बदलाव होता रहता है। जिले में कई माईन्स जल्द ही शुरू होने वाली है जिससे प्रत्यक्ष क्षेत्र का विस्तार होगा। माईनिंग गतिविधियों का प्रभाव एवं इसका दुष्प्रभाव काफी बड़े भू-भाग पर होता है, जिसकी परिधी कभी-कभी एक जिले से दुसरे जिले तक भी हो जाती है। माईनिंग गतिविधियों एवं ढुलाई से वायु, जल, पर्यावरण एवं जंगल प्रभावित होते है। इसी कारण डी0एम0एफ0टी0 नियमावली धारा-1 (b) में अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित करने हेतु इस बात का उल्लेख है। बैठक में इस नियमावली के अन्तर्गत जिले के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone) को छोड़कर सम्पूर्ण जिले को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना गया। बैठक में प्रभावित नागरिक एवं योजना के लाभुकों की अनुमानित संख्या चिन्हित करने हेतु प्रभावी जनगणना एवं निर्वाचन सूची को आधार मानते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी। बैठक में सर्वसम्मति से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को जिले के विभिन्न पंचायतों में हो रहे खनन गतिविधियों के आधार पर पंचायतों को प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार)

3. बैठक में लातेहार जिले में संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूल-भूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरांत् सर्वसम्मति से डी0एम0एफ0टी0 मद से खनन प्रभावित प्रखण्ड बालूमाथ एवं चंदवा प्रखंडों के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवश्यकतानुसार सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार)

4. बैठक में जिले के विभिन्न अस्पतालों के ICU एवं PICU में उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन की अवधि विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरांत ICU एवं PICU में उपलब्ध मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए इनके कार्यकाल को दिसम्बर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में बालुमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर डाक्टरों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। सर्वसम्मति से खनन प्रभावित प्रखण्ड बालुमाथ में डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की कमी को देखते हुए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवा प्रदाता कम्पनी से अथवा संविदा पर अस्थायी रूप से डॉक्टर एवं पारा मेडिकल स्टॉफ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- सिविल सर्जन, लातेहार)

5. बैठक में कौशल विकास अंतर्गत डी0एम0एफ0टी0, लातेहार एवं एस0सी0एम0एस0, नई दिल्ली के बीच सम्पन्न एम0ओ0यू0 के आलोक में प्रारम्भ हो रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। जिला खनन पदाधिकारी लातेहार द्वारा बैठक में बताया गया कि एस0सी0एम0एस0 द्वारा बालुमाथ प्रखंड में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। उक्त संस्था को विभिन्न ग्राम सभा से प्राप्त 959 प्रशिक्षुओं की सूची भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा चुकी है। डी0एम0एफ0टी0, लातेहार एवं एस0सी0एम0एस0, नई दिल्ली के बीच संपन्न एम0ओ0यू0 के माध्यम से 150 प्रशिक्षुओं को ही प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से ग्राम सभा से प्राप्त सूची के आलोक में एस0सी0एम0एस0 से 300 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोल परियोजना से प्रभावित परिवारों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में माइनिंग क्षेत्र में कौशल विकास के अतिरिक्त सोलर टेकनिशियन हेतु कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जिले के युवाओं को भविष्य में बेहतर रोजगार का माध्यम उपलब्ध कराने के उदेश्य से सोलर आधारित उपकरण के रख -रखाव/ मरम्मति हेतु 150 लोगो को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार)

6. बैठक में लातेहार जिला में दिब्यांग जनों को मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा हुई समीक्षोपरांत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संस्था Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) से भेण्डर बॉक्स सहित मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल जिनके पास इसका पेटेंट भी उपलब्ध है, क्रय कर 200 दिब्यांगों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार)

7. बैठक में झारखण्ड डी0एम0एफ0टी0 नियमावली 2016 के प्रथम शेडयूल में उल्लेखित PMKKKY मार्गदर्शिका के अनुसार उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता में लिये जाने वाले योजनाओं में क्रमशः 60:40 के अनुपात के संतुलन पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनुपात के संतुलन को बनाये रखने हेतु अगामी योजनाओं की स्वीकृति के पूर्व उक्त मार्गदर्शिका के अनुसार योजना को उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता में वर्गिकृत करते हुए योजना की निधि शीर्ष के साथ प्रस्तुत किया जाय जिससे PMKKKY मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित हो सके साथ ही बैठक में उपायुक्त, लातेहार ने बताया कि लातेहार जिला एक आकांक्षी जिला हैं। नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतकों (Indicators) में कई घटक है जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण घटक हैं। नीति आयोग के घटको और PMKKKY मार्गदर्शिका के घटको में काफी समानताऐं हैं। इन दोनों को ध्यान में रख कर जिले में विकास संबंधी काफी योजनाऐं ली जा सकती है, यथा कृषि से संबंधित संकेतकों (Indicators) जिसमें माईक्रो आधारित सिंचाई, जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार, गुणवत्ता युक्त बीज वितरण, खरीफ एवं रवी के फसलों का उत्पादन, पशुओं का टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान के आकड़ों के आधार पर जिले के कृषि व्यवस्था की स्थिति देखी जाती है। इन संकेतकों (Indicators) को ध्यान में रखकर कृषि के क्षेत्र में योजनाऐं लेने से कृषि व्यवस्था भी सदृढ़ होगी साथ ही जिले की रैकिंग में भी सुधार होगा। लातेहार जिले में कृषि के उपर निर्भरता एवं ग्राम सभा से इससे संबंधित अत्यधिक प्रस्तावों को देखते हुए कृषि/ सिंचाई व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता में शामिल करने हेतु विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ताकि भविष्य में इससे संबंधित योजनाऐं ज्यादा अनुपात में ली जा सकें।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

8. बैठक में चंदवा प्रखंड के चंदवा पश्चिमी पंचायत से शव वाहन एवं अग्निशामक वाहन हेतु प्राप्त ग्राम सभा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से जिले में इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खनन प्रभावित प्रत्येक प्रखंडों को 01-01 शव वाहन एवं अग्निशामन वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

9. कल्याण विभाग द्वारा संचालित लातेहार जिले के विभिन्न 06 विद्यालयों/ छात्रावासों का मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य के स्वीकृति पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 द्वारा बताया गया कि विगत न्यास परिषद की बैठक में 09 विद्यालयों/ छात्रावासों की मरम्मति हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। शेष 06 विद्यालयों/ छात्रावासों की मरम्मति प्रस्तावित हैं। इस कार्य हेतु डी0एम0एफ0टी0 मद के उपयोग हेतु विभागीय सचिव का निदेश प्राप्त है। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही साथ बैठक में प्रखण्ड लातेहार के तरवाडीह पंचायत में शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर के वशंजों के ग्राम कोने में देवी मंडप से कोने पी0डब्लू0डी0 पथ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

10. बैठक में खनन प्रभावित बालुमाथ प्रखण्ड के चेताग पंचायत से विद्यालयों में साक्षरता कीट आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वर्तमान में जिले के हर नागरिक को साक्षर बनाने हेतु चलाये जा रहे अभियान को देखते हुए सर्वसम्मति से खनन प्रभावित प्रखण्डों में साक्षरता कीट उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया साथ ही, नीति आयोग के आकांक्षी जिला होने के कारण साक्षरता अभियान एवं पढ़ना-लिखना अभियान पर कार्य योजना जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बनाया गया है। इस संबंध में जिले के प्रत्येक निरक्षर को शिक्षित करना तथा शिक्षकों की भारी कमी एवं विषम PTR (Pupil Teacher Ratio) को सुधारने की आवश्यकता पर सहमति दी गई।

(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-सदस्य, नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।

ज्ञापांक :- 523 /डी0आर0डी0ए0, लातेहार दिनांकः- 9.4.22

प्रतिलिपि :- सभी सदस्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अचंल अधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।